वर्ष 2018 में अदालत के 10 अहम फैसले

शीर्ष न्यायालय का राफेल सौदे की जांच से इनकार

एम जे एंटनी

उच्चतम न्यायालय ने बीते साल के अपने अंतिम कार्यदिवस पर एक विवादास्पद फैसला दिया। न्यायालय ने याचिकाओं के एक समूह को खारिज करते हुए 36 राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे की जांच कराने से इनकार कर दिया। यह सौदा 58,000 करोड़ रुपये का है। उसने कहा कि निर्णय प्रक्रिया और लड़ाकू विमानों की जरूरत पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। अदालत के फैसले में कहा गया है कि कीमतों की तुलना करना न्यायालय का काम नहीं है। हालांकि यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। सरकार ने फिर से अदालत में जाकर कहा है कि फैसले में कुछ गलतियां हैं। वहीं विपक्ष ने इसमें कई विरोधाभास बताए हैं।

आधार की वैधता बरकरार

उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड की वैधता बरकरार रखी है। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा है कि निजी कंपनियां अपने ग्राहकों को आधार मुहैया कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकती हैं। यह बैंक खाता खोलने, मोबाइल फोन कनेक्शन लेने और अन्य सुविधाओं के लिए अनिवार्य नहीं होगा। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस योजना से भारत नागरिकों पर नजर रखने वाला देश बन गया है। अदालत ने आधार कानून को धन विधेयक के रूप में पारित करने को भी मंजूरी दे दी। हालांकि फैसले में कहा गया है कि निजता का अधिकार हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है।

खास है उपभोक्ता कानून

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि वस्तु एवं सेवाओं की बिक्री के करार में मध्यस्थता का प्रावधान होने के बावजूद उपभोक्ता शिकायत को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक विशेष कानून है। यह समाज की भलाई के लिए है और इसे सामान्य कानून से अधिक अहमियत दी जानी चाहिए।

खनन पट्टों का मामला

उच्चतम न्यायालय ने सेसा स्टरलाइट के खिलाफ गोवा फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए गोवा सरकार द्वारा मंजूर खनन पट्टों के नवीनीकरण को रद्द कर दिया है। इस फैसले में कहा गया, 'यह नवीनीकरण अनावश्यक हड़बड़ी' में किया गया, जिसमें सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा गया। इसमें उपलब्ध प्रासंगिक तथ्यों की अनदेखी की गई, इसलिए यह खनिज विकास के हित में नहीं है। यह फैसला केवल राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए लिया गया।'

दूरसंचार कंपनियों पर आरोप

उच्चतम न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की याचिका खारिज कर दी है। बंबई उच्च न्यायालय ने भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्यूलर के गुटबंदी करने के आरोप खारिज कर दिए थे। इन कंपनियों के खिलाफ जांच का आदेश सीसीआई ने 2017 में दिया था। सीसीआई को रिलायंस जियो इन्फोकॉम से यह शिकायत मिली थी कि उसकी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों ने गुटबंदी कर ली है और वे उसे इंटरकनेक्शन के पर्याप्त पॉइंट मुहैया नहीं करा रही हैं।

विदेशी ट्रेडमार्क बताए सबूत

अगर कोई विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी पर यह मुकदमा दायर करती है कि उस भारतीय कंपनी ने घरेलू बाजार में सामान की बिक्री कर उसके ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया है तो विदेशी कंपनी को यह साबित करना होगा कि उसकी यहां पर्याप्त पहचान, प्रतिष्ठा और बाजार है। यह 'संप्रभु राष्ट्र का नियम' दुनियाभर में स्वीकार किया जाता है और उच्चतम न्यायालय ने भी टोयोटा जिडोशा बनाम प्रियस ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड मामले में अपने फैसले में अपनाया है।

मध्यस्थ की आजादी को चुनौती

हाल में मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम में संशोधन किए जाने के बावजूद मध्यस्थों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को अदालतों में चुनौती दी जा रही है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले में फैसला दिया है, 'मध्यस्थ के किसी एक पक्ष का कर्मचारी होना उसके पक्षपाती और स्वतंत्र न होने का अनुमान जाहिर करने का आधार नहीं हो सकता।' सरकारी अनुबंधों में मध्यस्थता समझौतों में कहा गया है कि काम या अनुबंध से नहीं जुड़ा विभाग का कर्मचारी या उच्च अधिकारी मध्यस्थ बन सकते हैं। वे न अनधिकृत हैं और न ही बाध्यकारी हैं। एक अन्य फैसले में न्यायालय ने कहा कि किसी मध्यस्थता समझौते का लिखित या हस्ताक्षरित होना आवश्यक नहीं है।

रियल्टरों पर अदालती चाबुक

यह साल रियल एस्टेट कंपनियों के लिए मुश्किलों भरा रहा है क्योंकि उनके बहुत से शीर्ष कार्याधिकारियों को आवासीय फ्लैटों के ग्राहकों के साथ करारों के उल्लंघन के लिए जेल भेजा गया। एक अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र आवास प्राधिकरण की तरफ से सहकारी आवास समितियों को किए गए सभी आवंटनों को रद्द कर दिया क्योंकि ये 'अतार्किक और स्वैच्छिक' थे। अदालत ने रियल एस्टेट नियमन अधिनियम से जुड़े एक अन्य मामले में कहा कि अगर कोई व्यक्ति विकास योजना का ब्योरा मंजूरी देने वाले प्राधिकरण से मांगता है तो यह मुहैया कराया जाना चाहिए। प्राधिकरण व्यावसायिक भरोसे, कारोबारी गोपनीयता या बौद्धिक संपदा अधिकारों की वजह से ये ब्योरे देने से इनकार नहीं कर सकता। यहां तक कि एक प्रतिस्पर्धी कारोबारी कंपनी आरटीआई के तहत विकास योजना के ब्योरे हासिल कर सकती है।

बैंक गारंटरों पर कार्रवाई

उच्चतम न्यायालय ने ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता पर अपने एक अहम फैसले में कहा है कि बैंक गारंटरों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, भले ही इस कानून की प्रक्रिया जारी हो। एनसीएलएटी के फैसले को अलग रखते हुए इस फैसले में कहा गया कि जहां तक व्यक्तिगत गारंटर का सवाल है, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

दशकों से दिहाड़ी मजदूर

कामगारों को श्रम कानून के लाभ न देने के लिए उन्हें दशकों तक दैनिक पारिश्रमिक पर रखना निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में आम हो गया है। उच्चतम न्यायालय ने कई याचिकाओं में इस तरीके पर नाराजगी जताई है। ऐसे ही एक मामले में न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को कड़ी फटकार लगाई।

इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक कर्मचारी को 2,776 रुपये प्रति माह के वेतन पर 22 साल तक दिहाड़ी कामगार बनाए रखा और अंतिम तीन वर्षों में नियमित करने के बाद ग्रैच्युटी देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने सरकार के रुख को सही ठहराया था। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले- नेतराम साहू बनाम राज्य में कहा, 'यह राज्य का कर्तव्य है कि वह स्वैच्छिक रूप से ग्रैच्युटी का भुगतान करे, न कि कर्मचारी को अपना वाजिब हक हासिल करने के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण लेने के लिए बाध्य करे।'

'दिवालिया संहिता की धारा 74 बोलीदाताओं को करेगी दूर'

आशिष आर्यन और वीणा मणि

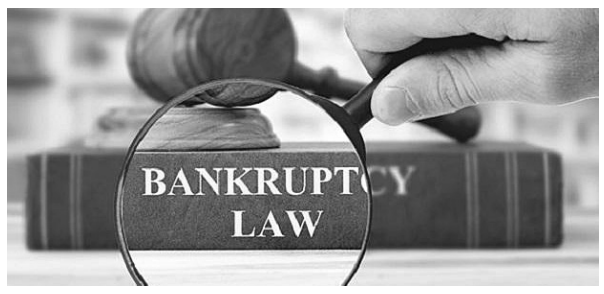

ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) की धारा 74 लागू करने के सवाल पर बहस अब भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है। आईबीसी की इस धारा के तहत किसी कंपनी के उन अधिकारियों के खिलाफ दंड का प्रावधान है, जो कर्जदाताओं की समिति और संबंधित न्यायिक प्राधिकरण द्वारा मंजूर समाधान योजना की शर्तों का उल्लंघन करते हैं। हालांकि इसे लेकर विशेषज्ञों की राय अलग-अलग है।

कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि दिवालिया हुई कंपनियों की समाधान योजना में गंभीरता बनाए रखने के लिए धारा 74 का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन एक पक्ष यह भी कहता है कि ऐसे कड़े उपायों से बोलीदाता बोली लगाने से कतरा सकते हैं। दिवालिया मामलों के विशेषज्ञ सुमंत बत्रा का कहना है कि यह संहिता लागू होने से शर्तों का उल्लंघन करने वाले बोलीदाताओं पर दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही दूसरी कंपनियों की समाधान योजना में बोलीदाता के रूप में भाग लेने पर पाबंदी लग जाएगी। उन्होंने कहा, 'धारा 74 इसलिए प्रभाव में लाई जानी चाहिए ताकि लोग दिवालिया संहिता का मजाक ना बनाएं। अन्य न्यायिक अधिकार क्षेत्रों में अरबों डॉलर की कई गंभीर देनदारियां फंसी पड़ी हैं।' हाल में ऐसी खबरें आई थीं कि सरकार और भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (आईबीबीआई) और एमटेक ऑटो के साथ-साथ रुचि सोया के कर्जदाता निर्धारित समय में भुगतान नहीं करने के लिए संबंधित बोलीदाताओं के खिलाफ आईबीसी की धारा 74 प्रभाव में लाने पर जोर दे चुके हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह प्रावधान महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

कर्जदाताओं ने उस समय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के चंडीगढ़ पीठ में याचिका दायर की थी, जब लिबर्टी हाउस एमटेक ऑटो के लिए भुगतान करने से चूक गई थी। लिबर्टी हाउस इस साल जुलाई में एमटेक ऑटो के लिए 42 अरब रुपये की बोली लगाकर सबसे आगे रही थी, लेकिन अब तक इसने बैंकों को एक रुपये तक भुगतान नहीं किया है। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक दूसरे अधिकारी ने कहा,'योजना में बदलाव के लिए लिबर्टी हाउस न्यायालय जा सकती थी। किसी को भी बिना भुगतान के भागने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में धारा 74 अहम हो जाती है। यह दूसरे बोलीदाताओं के लिए भी एक मानक तय करेगा।' इस दलील से इतर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रावधान लागू करने से एक ऐसे बाजार में बोलीदाता समाधान योजना में भाग लेने से कतराएंगे, जहां अच्छी समाधान योजनाओं की कमी है। इंडसलॉ में पार्टनर सौरभ कुमार कहते हैं, 'यह काफी कड़ा प्रावधान है। अगर पूरी निगमित समाधान योजना में 270 दिन से अधिक लगते हैं तो बोलीदाताओं को क्यों दंडित किया जाए? समय सीमा बढ़ाने की आवश्यकता पर भी विचार होना चाहिए।' आईबीसी की धारा 74 के तहत लेनदार के उन अधिकारियों के लिए न्यूनतम तीन और अधिकतम पांच साल के कारावास का प्रावधान है, जो भुगतान पर अस्थायी रोक से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन करते हैं। ऐसे अधिकारियों पर न्यूनतम एक लाख रुपये का जुर्माना भी लग सकता है, लेकिन यह तीन लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकता। कर्ज देने वाले संस्थान के जो अधिकारी जान बूझकर शर्तों के नियम का उल्लंघन करने की अनुमति देते हैं, उन्हें एक साल से अधिकतम पांच साल तक की जेल हो सकती है। ऐसे अधिकारियों पर न्यूनतम एक लाख रुपये और अधिकतम 1 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है।

सिंह ऐंड एसोसिएट्स में वरिष्ठ पार्टनर डेजी चावला कहती हैं कि बोली प्रक्रिया में सफल रहने वाली वाली इकाई के अधिकारी आईबीसी की धारा 31 के तहत मंजूर समाधान योजना की शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें न्यूनतम एक साल और अधिकतम पांच साल का कारावास हो सकता है। इसी तरह, उन पर एक लाख से अधिकतम एक करोड़ रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है।

शुद्धि पत्र

बिजनैस स्टेन्ड्रड हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 11-12-2018 को प्रकाशित कब्जा सूचना की क्र.सं. 1 व 2 में गारंटर का नाम, मांग नोटिस की तिथि एवं बकाया राशी गलत छप गयी थी जो सही करके नीचे तालिका में दिया गया है बाकि सब यथास्थित रहेगा।

क्र.सं.	उधारकर्ता और गारंटर का नाम	मांग नोटिस की तिथि	बकाया राशि
1	गारंटर: राजबीर सिंह पुत्र लखीराम	28.09.2010	रूपये 493378.00 दिनांक 31.05.2010 तक + आगे का ब्याज और अन्य खर्चे
2	गारंटर: संजीव कुमार और मेहरबान	08.01.2015	रूपये 449339.00 दिनांक 31.12.2014 तक + आगे का ब्याज और अन्य खर्चे

प्राधिकृत अधिकारी: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

सार्वजनिक सूचना

लिमिटेड लायाबिलिटी पार्टनरशिप के रजिस्ट्रार कंपनी रजिस्ट्रार रा. रा. क्षेत्र दिल्ली के समक्ष लिमिटेड लायाबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) के मामले में

और

कॉन्सेप्टस इंटरनॅशनल इंडिया एलएलपी (एलएलपीआईएन: एएसी-1683) जिसका पंजीकृत कार्यालय **स्प्लेंडर फोरम, पाँचवी मंजिल, प्लॉट नं. 3, नई दिल्ली-110025, इंडिया** में स्थित है, के मामले में,

....आवेदक

एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि रा.रा. क्षेत्र दिल्ली से हरियाणा राज्य में पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरण के लिए 20 दिसंबर, 2018 को आयोजित बैठक में **कॉन्सेप्टस इंटरनेशनल इंडिया एलएलपी ("एलएलपी")** के पार्टनर्स द्वारा एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) के तहत एक प्रस्ताव पारित किया गया है।

एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी हित की प्रकृति तथा आवेदन की प्रति आपत्ति के कारणों के साथ इस सूचना के प्रकाशन के तिथी से चौदह दिनों के भीतर नीचे वर्णित पते पर आवेदक एलएलपी को उसकी एक प्रति के साथ एक शपथ पत्र द्वारा विधिवत समर्थित अपनी आपत्ति **कंपनी रजिस्ट्रार, चौथी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019,** के पास जमा करें या जमा कराऐं या पंजीकृत डाक से भेजे :

पंजीकृत कार्यालय - स्प्लेंडर फोरम, पाँचवी मंजिल, प्लॉट नं. 3, नई दिल्ली-110025, इंडिया.

कृते एवं के लिए **कॉन्सेप्टस इंटरनॅशनल इंडिया एलएलपी**

सलील गुप्ता

(पदनामित पार्टनर)

दिनांक: **जनवरी 3, 2019** **डीपीआईएन : 01756556**

KLG SHARE BROKERS LIMITED
CIN No.- U74899DL1994PLCO63589
GF-22, Ground Floor Pearls Omaxe Tower Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034
PUBLIC NOTICE
[Pursuant to Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(6) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
Before the Central Government, Regional Director Northern Region NCT of Delhi, Paryavaran Bhawan, CGO Complex New Delhi-110003
In the matter of Companies Act, 2013 Section 13(4) of Companies Act, 2013 and rule 30(6)(a) of Companies Incorporation Rules, 2014 And
In the Matter of **KLG SHARE BROKERS LIMITED** having its registered office at GF-22, Pearls Omaxe Tower Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034 **.....Petitioner**

Notice is hereby given to the General Public that the Company propose to make an application to Central Government (Regional Director) under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of the alteration of Clause II of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 27th December, 2018 to enable the Company to change its Registered office from "State of NCT of Delhi" to "State of Haryana".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed alteration of the Memorandum of Association may within 14 days from the date of publication of notice, deliver or cause to be delivered or send by registered post of his / her objections supported by an affidavit in original, stating the nature of his/her interest and grounds of opposition, to the REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION at the address B-2 WINGS, 2ND FLOOR, PARYAVARAN BHAVAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI-110003 with a copy to the applicant Company at its registered office at the address mentioned below.

KLG SHARE BROKERS LIMITED
GF-22, Ground Floor Pearls Omaxe Tower Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034

For and on behalf of
KLG SHARE BROKERS LIMITED
SD/- Vineet Garg (Director)
DIN: 00755447

Date: 02.01.2019
Place: Delhi

प्रपत्र–'जी'
अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
[दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36क (1) के अधीन]

प्रासंगिक विवरण

1.	कारपोरेट देनदार का नाम	एफई (इंडिया) लिमिटेड
2.	कारपोरेट देनदार के निगमन की तिथि	13–09–1994
3.	प्राधिकरण, जिसके अधीन कारपोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	आरओसी – दिल्ली
4.	कारपोरेट देनदार की कारपोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	L74899DL1994PLC061447
5.	कारपोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	डब्ल्यू–19, ग्रेटर कैलाश–।।, नई दिल्ली–110048
6.	कारपोरेट देनदार की बाबत दिवाला प्रक्रिया प्रारम्भ होने की तिथि	18–05–2018
7.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण तिथि	04–01–2019
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच)के तहत संकल्प आवेदन के लिए पात्रता उपलब्ध है	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों की ग्राह्यता निम्नलिखित से डाउनलोड/प्राप्त की जा सकती है : https://drive.google.com/open?id=10zpvhWlE8b1myt_fQ8KRtvzBDdpURJ6Q
9.	धारा 29ए के तहत लागू अपात्रता के नियम उपलब्ध है	धारा 29क के अधीन अग्राह्यता के मानदंड निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं : https://drive.google.com/open?id=10zpvhWlE8b1myt_fQ8KRtvzBDdpURJ6Q तथा आईबीबीआई की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं: http://ibbi.gov.in/webfront/legal_framework.php
10.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतरिम तिथि	09–01–2019
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	10–01–2019
12.	अंतरिम सूची की आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	12–01–2019
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	14–01–2019
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	10–01–2019
15.	समाधान योजना हेतु, अनुरोध मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचनाप्राप्त करने की विधि	समाधान आवेदक समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना ज्ञापन जारी करने हेतु अनुरोध के लिए क्लॉज 21 के तहत दी गई व्यवस्था के अनुसार समाधान प्रोफेशनल से सम्पर्क कर सकते हैं। ये समाधान आवेदकों द्वारा गोपनीयता का वचनपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात उपलब्ध कराए जाएंगे।
16.	समाधान योजना, प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	17–01–2019
17.	समाधान प्रोफशनल को समाधान योजना जमा करने का तरीका	संभावित समाधान आवेदक से पहले अपनी अभिरूचि की अभिव्यक्ति उनके ग्राह्यता मानदंडों के समर्थन में दस्तावेज के साथ ई–मेल द्वारा feindialtd@gmail.com को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है। ईओआई का प्रारूप https://drive.google.com/open?id=10zpvhWlE8b1myt_fQ8KRtvzBDdpURJ6Q से प्राप्त किया जा सकता है। ईओआई डाक/कुरियर द्वारा भी निम्न पते पर प्रस्तुत की जा सकती हैं, जो 09–01–2019 को अथवा पूर्व पहुंच जानी चाहिए। **नीलेश शर्मा** समाधान प्रोफेशनल एफई (इंडिया) लिमिटेड के मामले में सी–124, भू तल, लाजपत नगर–1, नई दिल्ली–110024 समाधान प्रोफेशनल द्वारा संभावित समाधान आवेदकों की ईओआई पर विचार के उपरांत लघु सूचीबद्ध किए गए संभावित समाधान आवेदकों को आर पी से समाधान योजना के लिए अनुरोध की प्राप्ति के पश्चात समाधान योजनाएं समाधान प्रोफेशनल को ई–मेल द्वारा प्रस्तुत करेंगे तथा भौतिक रूप से/डाक द्वारा सीलबंद लिफाफे में उपरिलिखित पते पर ऊपर क्लॉज 16 में वर्णितानुसार समाधान योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को अथवा पूर्व (अर्थात 17–01–2019 को अथवा पूर्व) प्रस्तुत करेंगे।
18.	अनुमोदन के लिए निर्णायक प्राधिकारी को समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	29–01–2019
19.	समाधान प्रोफशनल का नाम और पंजीकरण संख्या	**नीलेश शर्मा** IBBI/IPA-002/IP-N00104/20017-18/10232
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई–मेल जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	**नीलेश शर्मा** **पता** : सी–124, भू तल, लाजपत नगर–1, नई दिल्ली–110024 **ई–मेल आईडी** : nilesh.sharma@dhirassociates.com
21.	पता और ई–मेल जो समाधान प्रोफशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयोग किया जाना है	**पता:** सी-124, भू तल, लाजपत नगर–1, नई दिल्ली–110024 **ई-मेल आईडी** nilesh.sharma@dhirassociates.com
22.	अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है	**नीलेश शर्मा**, समाधान प्रोफेशनल **बेबलिंक** : https://drive.google.com/open?id=10zpvhWlE8b1myt_fQ8KRtvzBDdpURJ6Q ई–मेल : feindialtd@gmail.com
23.	प्रपत्र 'जी' के प्रकाशन की तिथि	04–01–2019

नोट : कृपया सूचित हों कि इस मामले में प्रपत्र–जी पहले 22–10–2018 को प्रकाशित किया जा चुका है, जिसमें अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि 06–11–2018 रखी गई थी। उक्त प्रकाशन के पश्चात, लेनदारों की समिति ने दिनांक 03–01–2019 को आयोजित बैठक में प्रपत्र–जी पुनः प्रकाशित करने का प्रस्ताव किया है ताकि एफई (इंडिया) लिमिटेड की ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया में समाधान योजनां प्रस्तुत करने हेतु संभावित समाधान आवेदक/इच्छुक पार्टियां अधिकाधिक संख्या में भाग ले सकें। जो अपनी ईओआई ज 22–10–2018 को प्रकाशित प्रपत्र–जी के अनुसरण में प्रस्तुत कर चुके हैं, उनसे भी अपनी ईओआई/अभिरूचि इस विज्ञापन के संबंध में पुनः प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

हस्ता./–
नीलेश शर्मा, समाधान प्रोफेशनल
एफई (इंडिया) लिमिटेड के मामले में
सी–124, भू तल, लाजपत नगर–1, नई दिल्ली–110024
IBBI/IPA-002/IP-N00104/20017-18/10232
फोन : 9811418701 ई–मेल: feindialtd@gmail.com, nilesh.sharma@witworthipe.com, nilesh.sharma@dhirassociates.com

दिनांक: 04.01.2019
स्थान: नई दिल्ली

TENDER CARE **Commercial Feature**

सरकार ने पीएनबी के अंतर्गत ग्रामीण बैंकों के समूह का विलय किया

ग्रामीण ऋण देने में तेजी लाने और क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों की बैलेंस-शीट को मजबूत करने के लिए उठाया गया कदम पंजाब और बिहार में ग्रामीण ऋण देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के एक समूह को पीएनबी के अंतर्गत समामेलित किया जा रहा है। यह कदम मौजूदा एनडीए सरकार के ग्रामीण ऋण देने और आरआरबी को मजबूत करने के एजेंडे का हिस्सा है। समामेलन योजना के अंतर्गत पंजाब के पंजाब ग्रामीण बैंक (PGB) को मालवा ग्रामीण बैंक (MGB) और सतलुज ग्रामीण बैंक (SGB) के साथ 1 जनवरी, 2019 से जोड़ा जाएगा। इस बीच, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक नामक एक नई इकाई बनाई गई है, जिसके अंतर्गत मध्य बिहार ग्रामीण बैंक और बिहार ग्रामीण बैंक का विलय किया जाएगा।

जबकि मध्य बिहार ग्रामीण बैंक पहले ही पीएनबी द्वारा प्रायोजित था, बिहार ग्रामीण बैंक यूको बैंक द्वारा प्रायोजित था। अब इन सभी विलयित संस्थाओं को पंजाब नैशनल बैंक द्वारा प्रायोजित किया जाएगा। विलय के पीछे का अभिप्राय इन बैंकों के प्रायोजक के रूप में एक मजबूत पीएसयू बैंक का होना है ताकि न केवल उनकी पूंजी पर्याप्तता बढ़ सके बल्कि उनका विस्तार भी तेजी से हो सके। सरकार ने ग्रामीण ऋणों को ग्रामीण तनाव को कम करने के प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचाना है।

समामेलित बैंक पंजाब नैशनल बैंक के प्रायोजन के अधीन रहेंगे, जो प्रभावी पर्यवेक्षण की सुविधा देगा, जिससे यह पहले से अधिक मजबूत हो जाएगा। आरआरबी से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने हितधारकों के हितों का ध्यान रखने के अतिरिक्त अपने-अपने राज्यों में ऋण देने में तेजी लाएं। समामेलित संस्थाओं में सरकार की उच्च हिस्सेदारी के साथ पंजाब ग्रामीण बैंक की पूंजी 22.50 करोड़ रुपये से बढ़कर 25.36 करोड़ रुपये हो गयी है। आरक्षित निधि 692.56 करोड़ रुपये से बढ़कर 912.95 करोड़ रुपये हो जाएगी जिसके फलस्वरूप नेट वर्थ 715.06 करोड़ रुपये से बढ़कर 938.32 करोड़ रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार, बिहार में समामेलित आरआरबी अर्थात दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की पूँजी 63.32 करोड़ रुपये से बढ़कर 281.46 करोड़ रुपये हो जाएगा। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की आरक्षित निधि 542.93 करोड़ रुपये से बढ़कर 621.43 करोड़ रुपये हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप नेट वर्थ 606.28 करोड़ रुपये से बढ़कर 902.89 करोड़ रुपये हो जाएगा।

बैंक सामान्य रूप से कार्य करना जारी रखेंगे तथा पंजाब और बिहार राज्यों में उनके कामकाज और दैनिक गतिविधियों में कोई बदलाव नहीं आएगा। नकदी जमा / निकासी जैसी सभी बैंकिंग गतिविधियां, खाता खोलना और ऋण देने की गतिविधियाँ शाखाओं में निर्बाध रूप से चलती रहेंगी।

समामेलन से परिचालन लागत का अनुकूलन होगा जिससे लाभ मार्जिन में वृद्धि होगी। मिश्रित ग्राहक आधार प्रभावी तरीके से विभिन्न डिजिटल उत्पादों और प्रतिस्पर्धी बैंकिंग उत्पादों का सूत्रपात करने में भी मददगार होगा। इस नई संस्था में भी विविध विशेषज्ञता वाले प्रतिभावान कर्मचारी होंगे, जिनका उपयोग इष्टतम परिणाम के लिए विवेकपूर्ण तरीके से किया जा सकता है।

AXIS BANK LTD.

स्ट्रेस्ड एसेट्स डिपार्टमेंट (नॉर्थ)
एक्सिस हाउस, चौथी मंजिल, टावर-1,1 से 14, सेक्टर 128, नोएडा-उ.प्र. - 201301

ई-नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत ई-नीलामी द्वारा अचल सम्पत्तियों की बिक्री। एतद्द्वारा जनसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि अधिकृत अधिकारी द्वारा सार्वजनिक नीलामी आमंत्रण द्वारा/ई-नीलामी का आयोजन कर **'जैसे है जहां है' तथा 'जैसे है जो है' तथा 'वहां जो भी है'** के आधार पर इस सूचना में उल्लिखित तारीख एवं समय पर नीचे उल्लेखित अचल सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी। इच्छुक बोलीदातागण बिक्री के संबंध मे अधिक विवरण/नियमों, यदि आवश्यक हो, के लिए अधिकृत अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

कर्जदार/गारंटीदाता का नाम	गिरवीदाता का नाम	सम्पत्ति का विवरण	प्रत्याभूत ऋण	आरक्षित मूल्य	ई-नीलामी की तारीख एवं समय
कर्जदार: एसबीजे एक्सपोर्ट्स एंड एमएफजी प्रा. लि., ए-3/71, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, **निदेशक, गारंटीदाता एवं गिरवीदाता : श्री अमित जैन**, ए-3/71, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 तथा **निदेशक एवं गारंटीदाता: श्री अविनाश जैन**, ए-3/71, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 एवं **गारंटीदातागण : श्री नरेश चंद जैन**, ए-3/71, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058; **श्रीमती अंजू जैन**, एच-34/133, सेक्टर 3, रोहिणी, नई दिल्ली-110085, **श्री मुकेश गुप्ता**, मकान सं. 28, रोड नं. 20, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026	**श्री अमित जैन**	**1.** श्री अमित जैन की स्वामित्व वाली द्वारका, नई दिल्ली में स्थित ब्लॉक-बी, पॉकेट-3, सेक्टर-17 में 209 वर्ग मीटर परिमाप की सम्पत्ति सं. 35। स्वामित्व विलेख के अनुसार चौहद्दी:- पूर्वः सड़क, उत्तरः सम्पत्ति सं. 34, पश्चिमः सम्पत्ति सं. 32, दक्षिणः सम्पत्ति सं. 36। **2.** श्री अमित जैन की स्वामित्व वाली रिहायसी प्लॉट सं. 6, ग्राम मसूदाबाद, नजफगढ़, नई दिल्ली परिमाप 460 वर्ग यार्ड। स्वामित्व विलेख के अनुसार चौहद्दी:- पूर्वः अन्य प्लॉट सं. 7/सम्पत्ति का हिस्सा, उत्तरः मेन नजफगढ़ रोड, पश्चिमः अन्य प्लॉट सं. 7/सम्पत्ति का हिस्सा, दक्षिणः सड़क 16 फीट।	**एक्सिस बैंक** दिनांक 31.03.2017 तक **रु. 30,16,11,974.76** साथ में उपरोक्त रकम पर अनुबंधकीय दर पर भविष्य के ब्याज के साथ उस पर आकस्मिक व्यय एवं लागत तथा **ओबीसी** के प्रभार में दिनांक 31.05.2017 को **रु. 17,07,05,739/-** साथ में भविष्य के ब्याज एवं अन्य शुल्क।	**1. रु. 3.83 करोड़** **1. ईएमडी : रु. 38.30 लाख** **2. रु. 3.83 करोड़** **2. ईएमडी: रु. 38.30 लाख**	**08.02.2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक** **ईएमडी जमा करने की तारीख** **06.02.2019 को अपराह्न 5.00 बजे तक** **निरीक्षण की तारीख: 21.01.2019 को अपराह्न 2.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक**

**टिप्पणी: प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8